नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.02.26	पत्रावली पेश हुई।	

दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा सहमति दिये जाने से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिया जाता है।

इस आदेश द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का निर्णय किया जा रहा है।

प्रतिवादी अधिवक्ता का कथन है कि वादीगण किसी भी प्रकार से प्रतिवादीगण के वंशवृक्ष (सजरा) में नहीं है वादीगण ने अभिवचन में वादीगण किस तरह से प्रतिवादी संख्या 01 की भूमि में अधिकार रखता है जिसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण किसी प्रकार के हक प्राप्त नहीं करता है, वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 29 व 40 प्रतिवादी तेजाराम के खातेदारी खुदकाश्त की वक्त सेटलमेन्ट से होने के कारण वादीगण का कोई कोई अधिकार वादग्रस्त वादग्रस्त सम्पत्ति में नही होने के कारण वादपत्र काबिले खारिज योग्य होने के कारण आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत पूर्ण रूप से विधि द्वारा वर्जित है वादीगण की वादी पत्र की अभिवचन से यह स्पष्ट है कि वादीगण ने वादपत्र में गलत तौर से कब्जा बताकर खातेदारी हक अधिकार का घोषणा का अनुतोष चाहा है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मे प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

वादीगण वकील का कथन है कि शौभाजी की पुत्री चुनी की शादी वादीगण के दादा नवारामजी के साथ हुई थी, शौभाजी के देहान्त के पश्चात विधवा धनकी ने शौभाजी को घर जंवाई ले आई थी शौभाजी का पुत्र भूराराम नाबालिग होने से वादीगण के दादा नवाराम उनके साथ ही रहता था, नवाराम न ही भूराराम का पालन पोषण किया तथा विवाह करवाया भूराराम का पुत्र तेजाराम हुआ, प्रतिवादी के पिता भूराराम व वादीगण के दादा नवाराम का देहान्त वक्त सेटलमेन्ट हो गया था, ततसमय तेजाराम नाबालिग 2 वर्ष के करीब था, वक्त सेटलमेन्ट नवाराम व भूराराम के जीवनकाल [illegible] गण के पिता गोमाराम वादग्रस्त भूमियों पर [illegible] साथ काबिज काश्त थे वादीगण के पिता [illegible] बता दिया कि वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा पर गोम[illegible] का तथा 1/2 नाबलिग तेजाराम पुत्र भूराराम का कब्जा काश्त है। वादीगण के पिता गोमाराम ने सैटलमेन्ट अधिकारियो के कथनों पर विश्वास कर के पर्चा लगान प्राप्त किया था तथा खसरा संख्या 29 रकबा 67.6 बीघा,खसरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) भिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:49:02 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

संख्या 40 रकबा 42.6 बीघा व खसरा संख्या 83 रकवा 1.19 बीघा पर नाबलिग तेजाराम के साथ निस्फ–निस्फ हिस्से पर कब्जा काश्त था व रहा। सेटलमैंट अधिकारियों द्वारा वादग्रस्त भूमियों पर जिस पर 1/2 हिस्से पर वादीगण के पिता गोमाराम व 1/2 हिस्से पर नाबलिग तेजाराम पुत्र भूराराम काबिज काश्त थे परन्तु सैटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा गलत रूप से अकेले नाबलिग तेजाराम के नाम गलत लगान पर्चा जारी करने से भूमि अकेले तेजाराम के नाम दर्ज हो गई वादीगण के हक पूर्वाधिकारियों वक्त सैटलमेन्ट से वादग्रस्त कृषि भूमियों के 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त थे, व उनके देहान्त के पश्चात वादीगण का कब्जा काश्त है, वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 बाप–दादाओं यानि जागीरकाल के समय से एक ही भूखण्ड में पास–आस रह रहे है तथा जिस भूखण्ड का दिनांक 15.07.1947 को तत्कालीन जागीरदार ठाकाणा मौखण्डी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता भूरा पुत्र शौभा के नाम पट्टा जारी किया पट्टे दिनांक 15.07.1947 के पश्चिम बाजू में पडत भूमि दर्शाया गई जिस भूमि पर वादीगण के हकपूर्वाधिकारी व प्रतिवादी संख्या 1 तेजाराम तथा उसके हक पूर्वाधिकारी शौभाजी का कब्जा काश्त था जिस पर वक्त सेटलमेन्ट उक्त भूमि खसरा संख्या 83 रकबा 1.19 बीघा किस्म बाडा दर्ज हुआ है, उपरोक्त रहवासीय भूखण्ड के हक अधिकार को लेकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 तेजाराम के मध्य श्री सिविल न्यायालय सिवाना में वाद विचाराधीन है भूखण्ड संख्या 83 को लेकर आपराधिक प्रकरण प्राथमिकी संख्या 186/2019 पुलिस थाना समदडी में दर्ज करवाया गया है वक्त सेटलमेन्ट 1952 तेजाराम नाबालिग था कानूनन शिशु अवस्था में खातेदारी अधिकार दिये जाने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा भूमि अकेले तेजाराम के नाम दर्ज कर दी थी जबकि विवादित भूमि पर वादीगण का वक्त सैटलमेन्ट से अपने हक पूर्वाधिकारियों के कब्जा काश्त अनुसार 1/2 हिस्से पर आज रोज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है, वादीगण उपरोक्त भूमि पर कोई राईट रखते है या नहीं प्योर क्यूशन ऑफ लॉ एण्ड सो है वादीगण अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड अजमेर द्वारा अमरसिंह बनाम दीपचंद वैगरा आर.आर.टी. 2009 (1) तथा बलदेवसिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान आर.आर.टी. 2003 (1) न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर कथन [illegible] तथ्यों के आधार पर वादीगण का वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम [illegible] के प्रावधानों के तहत प्रथम तौर पर खारिज [illegible] है जवाबदावा में आपत्तियां प्रस्तुत कर तनकीयात कायम कर [illegible] साक्ष्य ही ही तथ्य एवं विधिक के मिश्रित बिन्दु को विधि अनुसार तय करवाया जाना चाहिये अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. खारिज फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:49:02 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हमने दोनो पक्षो के अधिवक्ता की बहस सुनी व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गंभीरता से मनन किया विधि के परिपेक्ष्य की विवेचना की वादी तथा प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया ।

यहां न्यायालय को यह तय करना था कि यह वाद अदालत हाजा में चलने योग्य है या नहीं है ?

आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.– वाद पत्र का नामंजूर किया जाना:– वाद पत्र निम्नलिखित दशा में नामंजूर किया जाएगा

(क) जहाँ वह वाद–हेतुक प्रकट नहीं करता है;

(ख) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्याकंन कम किया गया है कि वादी मूल्याकंन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियम किया है,ऐसा करने मे असफल रहता है ;

(ग) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्याकंन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्बारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है,ऐसा करने में असफल रहता है;

(घ) जहाँ वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है;

(ड) जहां यह दो प्रतियों मे फाइल नहीं किया जाता है;

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है ;

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का व वादी एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरो का ससम्मान अवलोकन एवं मनन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से स्पष्ट है कि वक्त सेटलमेन्ट से वादग्रस्त भूमियां प्रतिवादी तेजाराम के नाम पर दर्ज है वादीगण द्वारा ऐसा एक भी दस्तावेज अथवा गिरदावरी पेश नहीं किया गया है जिससे प्रतीत हो कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण के दादा नवाराम के खातेदारी की हो। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि का कथन किया गया है पैतृक [illegible] वादीगण का किस प्रकार अधिकार है इस संबंध में भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा T.Arivandandam vs T.V. Satyapal,(1977 (4)467 (SCC) में में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि वाद पत्र सार रूप में पढने से स्पष्ट हो कि वह किसी अधिकार पर आधरित नहीं है अथवा उसमें वास्तविक वाद हैतुक नहीं है तो न्यायालय को आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अन्तर्गत उसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:49:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तामील हुए
	प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज कर देना चाहिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में Popat and Kotecha Property v. State Bank of India Staff Association (2005) 7 SCC 510 में निर्णय अनुसार आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के आवेदन का निर्णय केवल वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर किया जाएगा यदि वाद पत्र में वर्णित तथ्यों से कोई वाद हेतु उत्पन्न नही होता है तो वाद खारिज किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी तेजाराम के खातेदारी भूमि होने से वाद हैतृक उत्पन्न नहीं हो रहा है। लिहाजा प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी का वाद, वाद हेतुक प्रकट नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना	

अज अदालत राजस्व प्रकरण संख्या
वादीगण:-

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:49:02 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व प्रकरण संख्या 14/2024

वादीगणः–

गोमाराम पुत्र नवाराम कौम चौधरी साकिन मौखण्डी तहसील समदडी जिला बालोतरा के विधिक वारिसानः–

1. डूंगरराम पुत्र गोमाराम जाति चौधरी
2. शेराराम पुत्र गोमाराम जाति चौधरी
3. मूलाराम पुत्र गोमाराम जाति चौधरी
4. मोतीराम पुत्र गोमाराम जाति चौधरी
5. भगवानाराम पुत्र गोमाराम जाति चौधरी
6. तीजोदेवी बैवा गोमाराम जाति चौधरी
7. वीरादेवी पुत्री गोमाराम जाति चौधरी पत्नी चतराराम जाति चौधरी सभी निवासीयान मौखण्डी तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. तेजाराम पुत्र भुराराम जाति चौधरी निवासी मौखण्डी तहसील समदडी जिला बालोतरा के कायम मुकाम
   1/1 मोहनराम पुत्र तेजाराम जाति चौधरी निवासी मौखण्डी
   1/2 मीठाराम पुत्र तेजाराम जाति चौधरी निवासी मौखण्डी
   1/3 रामचन्द्र पुत्र तेजाराम जाति चौधरी निवासी मौखण्डी
   1/4 नेनीदेवी पुत्री तेजाराम पत्नी कालूराम जाति चौधरी हाल निवासी रानीदेशीपुरा तहसील समदडी
   1/5 मूलादेवी पुत्री तेजाराम पत्नी केराराम जाति चौधरी निवासी रणियादेशीपुरा तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा
   1/6 हथुदेवी पुत्री तेजाराम पत्नी मोतीराम जाति चौधरी हाल निवासी हिन्दू वाला बेरा, समदडी तहसील समदडी जिला बालोतरा
   1/7 सारकी देवी पुत्री तेजाराम पत्नी नेमाराम हाल निवासी गोलिया चौधरियान तहसील समदडी जिला बालोतरा
   1/8 शान्तिदेवी बेवा तेजाराम जाति चौधरी निवासी मौखण्डी तहसील समदडी जिला बालोतरा
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांकः – 23.02.2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधिवक्ता श्री गजेसिंह भाटी अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दई श्री कैलाश पुरी अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी का प्रार्थना आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होने के कारण वादीगण का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:49:02 IST
Reason: SelfAttested

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.02.2026 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना